

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002**

Notification No. 37/2021-State Tax

Dated: The 16 March, 2022

No. F.3(161)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/72 - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from 1st December, 2021.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, —

(i) in rule 137, with effect from the 30th day of November 2021, for the words “four years”, the words “five years” shall be substituted.

(ii) in **FORM GST DRC-03**, —

(a) in the heading, after the words “or statement”, the words, letters and figures “or intimation of tax ascertained through **FORM GST DRC-01A**” shall be inserted;

(b) against item 3, in column (3), for the word and letters “Audit, investigation, voluntary, SCN, annual return, reconciliation statement, others (specify)”, the words, letters, figures and brackets “Audit, inspection or investigation, voluntary, SCN, annual return, reconciliation statement, scrutiny, intimation of tax ascertained through **FORM GST DRC-01A**, Mismatch (Form GSTR-1 and Form GSTR-3B), Mismatch (Form GSTR-2B and Form GSTR-3B), others (specify)” shall be substituted;

(c) against item 5, in column (1), after the word and figures “within 30 days of its issue”, the words, letters, figures and brackets “, scrutiny, intimation of tax ascertained through Form GST DRC-01A, audit, inspection or investigation, others (specify)” shall be inserted;

(d) for the table, under serial number 7, for the table, the following table shall be substituted, namely:-

"Sr. No.	Tax Period	Act	Place of supply (POS)	Tax/ Cess	Interest	Penalty, if applicable	Fee	Others	Total	Ledger utilised (Cash / Credit)	Debit entry no.	Date of debit entry
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												..

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* notification No. 3/2017-State Tax, dated the 22nd June, 2017, published *vide* number F3(10)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and were last amended *vide* notification No. 35/2021 -State Tax, dated the 17th January, 2022 *vide* number F.3(142)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/33, dated the 17th January, 2022.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

No. F.3(161)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/ 172

Dated: The 16 March, 2022

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.

10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

IndiaCode

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 37/2021-राज्य कर

दिनांक: 16 मार्च 2022

सं0फा0 03()/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/172: दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, ये नियम दिनांक 1 दिसम्बर 2021, से लागू होंगे।

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 137 में, 30 नवंबर, 2021 से, "चार वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में, -

(क) शीर्ष में, "या विवरण" शब्दों के पश्चात्, "या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद 3 के सामने, स्तंभ(3) में, "लेखा परीक्षा, अन्वेषण, स्वेच्छा या, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)", शब्दों के स्थान पर, "लेखा परीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, स्वेच्छा या, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, संवीक्षा, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, मिलान न होना (प्ररूप जीएसटीआर-1 और प्ररूप जीएसटीआर-3ख), मिलान न होना (प्ररूप जीएसटीआर-2ख और प्ररूप जीएसटीआर-3ख), अन्य (विनिर्दिष्ट करें)", शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ग) मद 5 के सामने, स्तंभ (1) में, "यदि इसके जारी होने के 30 दिन के भीतर", शब्द और अंकों के पश्चात् "संवीक्षा, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, संपरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)", शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(घ) क्रम संख्यांक 7 के अधीन सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (पी ओ एस)	कर/ उपकर	ब्याज	शास्ति, यदि लागू हो	फीस	अन्य	कुल	उपयोग किए गए खाते (नकद/ प्रत्यय)	विकलन प्रविष्टि सं.	विकलन प्रविष्टि की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												1"।

नोट: मूल नियम दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में अधिसूचना संख्या 03/2017-राज्य कर, दिनांक 22 जून, 2017, द्वारा सं.फा.03(10)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/342, दिनांक 22 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 35/2021-राज्य कर, तारीख 17 जनवरी, 2022, सं.फा. 03(142)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/33, तारीख 17 जनवरी, 2022, के द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर


(मनोज कुमार)
उप सचिव- I (वित्त)

सं0फा0 03()/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/172

दिनांक: 16 मार्च 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।

मनोज कुमार

(मनोज कुमार)
उपसचिव- I (वित्त)

IndiaCode